

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- प.5 (283) निपेवि/नियम/2014/ 2024-80 H

दिनांक :- 31.08.2016

कोषाधिकारी -----
समस्त (राज0)

विषय :- पेंशन अधिकृतियों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि

1. प्रथम भुगतान के समय पेंशन का प्रथम भुगतान (यदि बकाया हो की पेंशन की बकाया राशि का विगत माह तक का भुगतान) एवं ग्रेच्यूटी भुगतान आदेश एवं कम्प्यूटेशन भुगतान आदेश की राशि का प्रथम भुगतान पूर्व की भांति कोष कार्यालय स्तर पर किया जाना है।
2. प्रथम भुगतान के पश्चात् प्रकरण में जारी होने वाली संशोधित पेंशन अधिकृतियों, यथा संशोधित ग्रेच्यूटी भुगतान आदेशों एवं संशोधित कम्प्यूटेशन अधिकृतियाँ में से GPO अधिकृति तथा CPO अधिकृति का भुगतान संबधित पेंशनर को ECS के माध्यम से कोषाधिकारी के स्तर से किया जाना है। पेंशन संशोधन का भुगतान सम्बधित बैंक के स्तर से किया जाना है।
3. उपादान राशी से रोकी गयी राशी के भुगतान की अधिकृति का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा पेंशनर को ECS के माध्यम किया जाना है।
4. मंहगाई राहत की अंतर राशी के भुगतान की अधिकृति का भुगतान कोषाधिकारी द्वारा पेंशनर को ECS के माध्यम से किया जाना है।

भवदीय,
E
(के.के.गैडियोक)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर
2. प्रबंधक, S.B.B.J, C.P.P.C, जयपुर
3. पेंशन वितरण हेतु अधिकृत बैंक (समस्त)


निदेशक